न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली जिला टोंक (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या :– 321 / 2023 निर्णय दिनांकः–23.01.2025

उनवानी प्रार्थना पत्र :–

1. बलवीर सिंह पुत्र स्व. श्री राजसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
2. किशन सिंह पुत्र पुत्र स्व. श्री राजसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
3. महेन्द्र सिंह पुत्र स्व. गजराज सिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
4. हिम्मतसिंह पुत्र स्व. गजराज सिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
5. प्रकाश कंवर पुत्री स्व. गजराज सिंह पत्नी तेजसिंह निवासी पनवाड़ हाल निवासी मेवदाखुर्द तहसील शाहपुरा हाल जिला शाहपुरा (राज)
6. छोटा कंवर पत्नी स्व. गजरासिह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी पनवाड़े, तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–प्रार्थीगण –

बनाम

1. राजेश कंवर पत्नी स्व. प्रेमराज सिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
2. लक्ष्मण सिंह पुत्र स्व. प्रेमराज सिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
3. हिम्मत सिंह पुत्र स्व. प्रेमराज सिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
4. तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
5. उपपंजीयक देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थीगण–

– उपस्थिति –

श्री प्रकाश चन्द जैन
श्री विरेन्द्र जैन ।।

श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3

वाद उद्घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज, एवं स्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय / आदेश

23.1.25

संवत् 2020 से 2039 में प्रार्थीगण के दादा, परदादा व दादाससुर मोती सिंह पुत्र प्रताप सिंह कौम राजपूत की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि आराजी साबिक खसरा नम्बर 752, 753, 754, 801, 802, 728/1/6, 2197, 792 कुल किता 8 कुल रकबा 21 बीघा 12 बिस्वा भूमि ग्राम पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित थी। मोती सिंह पुत्र प्रताप सिंह कौम राजपूत निवासी पनवाड का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है:—

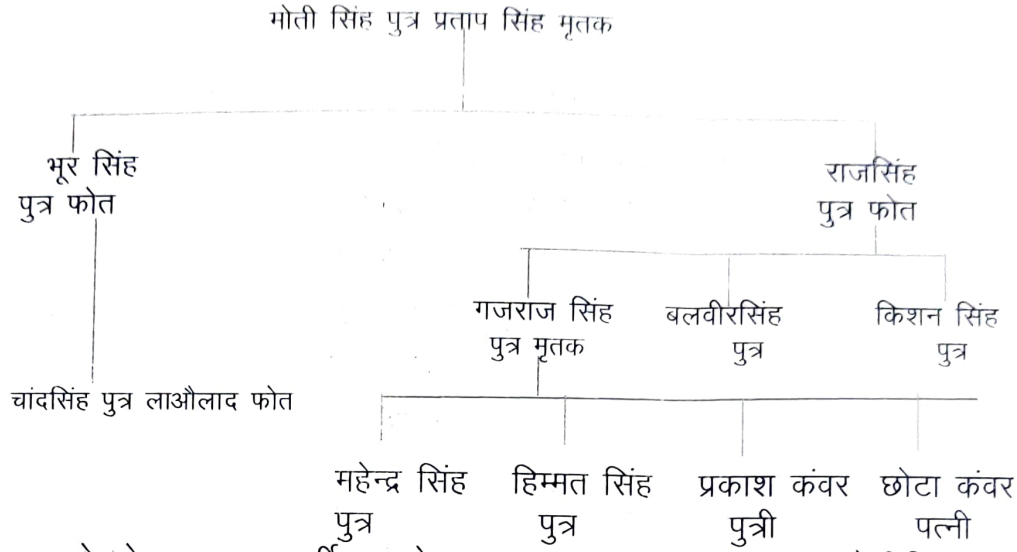

उपरोक्त सजरे के अनुसार प्रार्थीगण के दादा, परदादा व दादाससुर मोतीसिंह पुत्र प्रताप सिंह के दो पुत्र क्रमशः भूरसिंह व राजसिंह हुए जो दोनो पुत्र भूरसिंह व राजसिंह की मृत्यु हो गई। भूर सिंह के एकमात्र पुत्र चांदसिंह हुआ जो लाऔलाद फौत हो गया तथा राजसिंह के तीन पुत्र क्रमशः गजराज सिंह, प्रार्थी नं. 1 बलवीर सिंह प्रार्थी नं. 2 किशन सिंह हुए। इनमें से गजराज सिंह पुत्र राजसिंह की मृत्यु हो गई जिसके विधिक वारिसान प्रार्थी नं. 3 महेन्द्रसिंह, प्रार्थी नं. 4 हिम्मतसिंह, प्रार्थी नं. 5 प्रकाश कंवर, प्रार्थी नं. 6 छोटा कंवर है। प्रार्थीगण के पूर्वज मोती सिंह पुत्र प्रताप सिंह की मृत्यु के बाद उक्त वर्णित भूमि मोतीसिंह के बड़े पुत्र भूरसिंह होने के कारण उक्त भूमि अकेले भूरसिंह पुत्र मोती सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई परन्तु मोती सिंह के दोनो पुत्र भूरसिंह व राजसिंह उक्त भूमि में 1/2—1/2 हिस्से की भूमि पर काबिज रहे है तथा भूरसिंह व राजसिंह की मृत्यु के उपरान्त उत्तरोतर रूप से प्रार्थीगण काबिज हैं। दौराने सेटलमेन्ट उक्त भूमि साबिक खसरा नम्बर 752 के नये खसरा नम्बर 2784 रकबा 0.35 है0 तनग्राम पनवाड़ कायम किये गये है। प्रार्थीगण के पूर्वज भूरसिह की मृत्यु के उपरान्त अप्रार्थीगण नं. 1 ता 3 के दादा व ससुर रतन सिंह पुत्र भूरसिंह ने अपने पिता का नाम भूरसिंह होने का नाजायज फायदा उठाकर राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगत कर रतनसिंह ने अपने आप को भूरसिंह पुत्र मोतीसिंह का वारिस होना बताकर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की उक्त वर्णित भूमि हाल खसरा नम्बर 2784

23.1.25

रकबा 0.35 है0 अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा ली जिसका कि प्रतिवादीगण के पूर्वज एवं राजस्व कर्मचारियो को किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं था और रतनसिंह पुत्र भूरसिंह की मृत्यु के बाद उत्तरोत्तर रूप से उक्त भूमि प्रतिवादीगण नं. 1 ता 3 के नाम उत्तरोत्तर रूप से दर्ज चली आ रही है। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की उक्त वर्णित कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 2784 रकबा 0.35 है0 तनग्राम पनवाड अप्रार्थीगण नं. 1 ता 3 के नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थीगण नं. 1 ता 3 प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करने लग गये है पांच--सात दिन पूर्व मौके पर आकर भूमि को बेचान करने की धमकियां देने लग गये। जबकि प्रार्थीगण अपने पूर्वजो के समय से ही उक्त वर्णित भूमि कर अकेले काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है इस कारण उक्त वर्णित भूमि को प्रार्थीगण की खातेदारी की उद्घोषित की जाकर प्रार्थीगण को उक्त भूमि का खातेदार घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण नं. 1 ता 3 के नाम के अंकन को विलोपित कर बतौर खातेदार प्रार्थीगण का नाम अंकित कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावे। प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 2784 रकबा 0.35 है0 वर्तमान में अप्रार्थीगण नं. 1 ता 3 के नाम गलत रूप से अंकित हो जाने के कारण अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थीगण को बेदखल कर जबरन कब्जा कर भूमि को किसी अन्य को बेचान/हस्तान्तरित करने पर आमादा है और आये दिन प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहे है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण नं. 1 ता 3 को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे स्वयं जरिए एजेन्ट, नौकर–चाकर या अन्य किसी के माध्यम से प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 2784 रकबा 0.35 है0 वाके तनग्राम पनवाड़ में स्थित है, में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे, प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करे, उक्त भूमि अथवा उसके किसी भी भू–भाग को किसी अन्य के पक्ष में रहन, दान, बेचान, वसीयत या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित करे तथा पाबंद रहे एवं अप्रार्थी नं. 5 को भी जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह स्वयं जरिए अधिनस्थ अधिकारियो/कर्मचारियो के प्रार्थीगण वर्णित भूमि खसरा नम्बर 2784 रकबा 0.35है. वाके तनग्राम पनवाड़ में स्थित है, को अप्रार्थीगण नं. 1 ता 3 के द्वारा रहन, दान, बेचान, वसीयत या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित करने पर उसका पंजीयन नहीं करे, ना करावे तथा पाबंद रहे। यदि अप्रार्थीगण को उपरोक्तानुसार पाबंद नहीं किया गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना किसी भी रूप में संभव नहीं होगा। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण नं. 1 व 2 को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मूलवाद पाबंद किया जावे कि वे हाल खसरा नम्बर 2784 रकबा 0.35 है0 वाके तनग्राम पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में

23.1.25

स्थित है, में अप्रार्थीगण नं. 1 ता 3 को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे स्वयं जरिए एजेन्ट, नौकर–चाकर या अन्य किसी के माध्यम से वाद वर्णित भूमि खसरा नम्बर 2784 रकबा 0.35 है0 वाके तनग्राम पनवाड़ में स्थित है, में प्रार्थीगण के कब्जे–काश्त व उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे, प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करे, उक्त भूमि अथवा उसके किसी भी भू–भाग को किसी अन्य के पक्ष में रहन, दान, बेचान, वसीयत या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित करे तथा पाबंद रहे एवं अप्रार्थी नं. 5 को भी जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह स्वयं जरिए अधिनस्थ अधिकारियो/कर्मचारियो के प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 2784 रकबा 0.35 है0 वाके तनग्राम पनवाड़ में स्थित है, को अप्रार्थीगण नं. 1 ता 3 के द्वारा रहन, दान, बेचान, वसीयत या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित करने पर उसका पंजीयन नहीं करे, ना करावे तथा पाबदं रहे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 4 का कोई उज्र नहीं होने से इनके बारे में विचार नहीं किया गया।

अप्राथीगण संख्या 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार गुप्ता ने वकालतनामा पेश कर जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः–प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 2 जानकारी के अभाव मे स्वीकार नही है। **देखिये विशेष आपत्तियां।** प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 3 जानकारी के अभाव मे स्वीकार नहीं है। सजरे के बाबत प्रतिपक्षीगण को कोई जानकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 4 जानकारी के अभाव मे स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 5 गलत है, स्वीकार नहीं है। हाल खसरा नम्बर 2784 रकबा 0.35 है0 साबिक खसरा नम्बर 752 से नही बना है बल्कि खसरा नम्बर 752 मिन से बना है। उक्त खसरा नम्बर का रकबा काफी बडा था। खसरा नम्बर 2784 के अलावा अन्य खसरा नम्बरान साबिक खसरा नम्बर 752 से बने है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 6 जिस से तरह से वर्णित किया गया गलत है, स्वीकार नही है। हाल खसरा नम्बर 2784 रकबा 0.35 है0 में से 2/3 हिरसा प्रतिपक्षीगण ने खातेदार हरिराज सिंह पुत्र रतनसिंह, किशनकवर पत्नि रतनसिंह जाति राजपूत निवासी पनवाड से जरिये रजि0 विक्रय पत्र दिनाक 27.10.2022 को खरीदा है और मोके पर कब्जा प्राप्त किया है। आज भी मोके पर प्रतिपक्षीगण का कब्जा है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 6 जिस से तरह से वर्णित किया गया गलत है. स्वीकार नही है। प्रार्थीगण का जब विवादित खसरा नम्बर 2784 पर कब्जा ही नहीं है तो बेदखल करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। प्रार्थीगण द्वारा चाही गयी अधियाचना बिल्कुल गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने योग्य है।

23.1.25

विशेष आपत्तियां हाल खसरा नम्बर 2784 रकबा 0.35 है0 में से 2/3 हिस्सा प्रतिपक्षीगण ने खातेदार हरिराज सिंह पुत्र रतनसिंह, किशनकंवर पत्नि रतनसिंह जाति राजपूत निवासी पनवाड़ से जरिये रजि0 विकय पत्र दिनाक 27.10.2022 को खरीदा है और मोके पर कब्जा प्राप्त किया है। आज भी मोके पर प्रतिपक्षीगण का कब्जा है। हाल खसरा नम्बर 2784 रकबा 0.35 है0 साबिक खसरा नम्बर 752 से नही बना है बल्कि खसरा नम्बर 752 मिन से बना है। उक्त खसरा नम्बर का रकबा काफी बडा था। खसरा नम्बर 2784 के अलावा अन्य खसरा नम्बरान साबिक खसरा नम्बर 752 से बने है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रतिपक्षीगण को जैरबार व परेशान करने की नियत से पेश किया है। वैसे भी उक्त खसरा नम्बर ERCP योजना के तहत अवाप्त किया जा चुका है जिसकी लिस्ट भी जारी हो चुकी है, केवल मात्र नोटिफिकेशन होना बाकी है। यदि माननीय न्यायालय द्वारा उक्त खसरा नम्बर पर स्थगन आदेश जारी कर दिया गया तो राज्य सरकार की उक्त महत्तवपूर्ण योजना का कार्य रूक जायेगा। अतः जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि साबिक ख. नं. 752 से हाल ख. नं. 2784 बना है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में ख. नं. 2784 के जवाब में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। उक्त विवादित आराजी ERCP योजना के तहत अवाप्त की जा रही है। अतः स्टे दिया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना ERCP योजना में जा रही है। यदि स्टे दिया जाता है तो ERCP योजना अधूरी रह जाएगी। उक्त भूमि अवाप्ताधीन है। साबिक ख. नं. 752 से हाल ख. नं. 2784 बनना बताया है जबकि मिलान क्षैत्रफल से यह साबित नहीं होता है। प्रतिवादीगण द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की हुई भूमि है, आज अप्रार्थीगण का कब्जा है न कि प्रार्थीगण का। कब्जे व रिकॉर्ड के अभाव में टी. आई खारिज किया जावे।

ERCP योजना का नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है । अतः टी. आई. जारी की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। प्रा. पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए आवश्यक तीनो बिन्दुओ प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दूओ पर निर्णय करना आवश्यक हो जाता है।

प्रथम दृष्टया प्रकरण :– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज नकल पट्टा जयपुर गवर्नमेन्ट जयपुर कानन काश्तकार सन् 1945 ई. की धारा 7 (2) के अधीन नाम

23.1.25

पट्टेदार मय अहवास भूरसिंह वल्द मोती सिंह कोम राजपूत सा. देह के नाम ख. नं. 152 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा जमीन के नाम दर्ज है। मिलान क्षैत्रफल अनुसार साबिक ख. नं. 752 मि. से हाल ख. नं. 2784 बना है। जमाबन्दी सम्वत 2036–39 वाके ग्राम पनवाड़ में खाता संख्या 224 में ख. नं. 752 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा भूरसिंह वल्द मोती सिंह कोम राजपूत सा. देह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबन्दी सम्वत 2036–38 ग्राम पनवाड़ में भूरसिंह पुत्र मोतीसिंह राजपूत सा. देह खातेदार के नाम ख. नं. 552 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबन्दी सम्वत 2017–20 खातेदार भूरसिंह पुत्र मोतीसिंह कोम राजपूत के नाम साबिक ख. नं. 752 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा दर्ज रिकॉर्ड है। नामान्तकरण पंजिका ग्राम पनवाड़ के साबिक ख. नं. 752 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा भूरसिंह पुत्र मोतीसिंह कोम राजपूत के नाम कॉलम संख्या 5 में दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2021–24 व 2028–31 के अनुसार साबिक ख. नं. 752 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा भूरसिंह पुत्र मोतीसिंह कोम राजपूत के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

भू–प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी सम्वत 2046–65 के अनुसार ख. नं. 2784 रकबा 0.35 है0 खातेदार रतनसिंह पुत्र भूरसिंह कोम राजपूत सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबन्दी सम्वत 2071–74 वाके ग्राम पनवाड़ ख. नं. 2784 रकबा 0.35 है0 लक्ष्मणसिंह हिम्मत सिंह पुत्र राजेश कंवर बेवा प्रेमराजसिंह हि. 1/3 हरिराज सिंह पुत्र रतनसिंह 1/3 किशनकंवर बेवा रतनसिंह हि. 1/3 किशनकंवर बेवा रतनसिंह हि. 1/3 कोम राजपूत के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबन्दी सम्वत 2063–66 खातेदार के रूप में रतनसिंह पुत्र भूरसिंह कोम राजपूत सा. देह खातेदार के नाम ख. नं. 2784 रकबा 0.35 है0 दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबन्दी सम्वत 2067–70 वाके ग्राम पनवाड़ में खातेदार लक्ष्मणसिंह हिम्मत सिंह पुत्र राजेश कंवर बेवा प्रेमराजसिंह हि. 1/3 हरिराज सिंह पुत्र रतनसिंह 1/3 किशनकंवर बेवा रतनसिंह हि. 1/3 किशनकंवर बेवा रतनसिंह हि. 1/3 कोम राजपूत के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा दस्तावेज पेश किये जिसके अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2075–78 ख. नं. 2784 रकबा 0.35 है0 प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। छायाप्रति पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 27.10.2022 के अनुसार हरिराज पुत्र रतनसिंह व किशन कंवर पत्नी रतनसिंह निवासी पनवाड़ ने श्रीमती राजेश कंवर पत्नी श्री प्रेमराज सिंह जाति राजपूत को ख. नं. 2784 रकबा 0.35 है0 में 2/3 हिस्से का बेचान का विक्रय पत्र शामिल पत्रावली है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने कब्जे के सम्बन्ध में शपथ पत्र फत्तालाल पुत्र नाथूलाल जाति बैरवा, जगदीश पुत्र सोजीराम जाति तेली व हरिराज पुत्र रतनसिंह जाति राजपूत, किशनलाल पुत्र लादू जाति गुर्जर सभी निवासी पनवाड़ के शपथ पत्र पेश किये।

23.1.25

उक्त दस्तावेजो का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट है कि साबिक ख. नं. 752 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा भूरसिंह पुत्र मोतीसिंह कोम राजपूत के नाम दर्ज रिकॉर्ड रहा है और साबिक ख. नं. 752 मिन से हाल ख. नं. 2784 बना है अर्थात साबिक ख. नं. 752 बड़ा रकबा था । भू–प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी सम्वत 2046–65 के अनुसार ख. नं. 2784 रकबा 0.35 है0 खातेदार रतनसिंह पुत्र भूरसिंह कोम राजपूत सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है और उतरोतर रतनसिंह पुत्र भूरसिंह के वारिसान के नाम खातेदारी में चला आ रहा है।

उक्त विवेचन में वादीगण यह साबित नहीं किया साबिक ख. नं. 752 जो कि भूरसिंह पुत्र मोतीसिंह के नाम दर्ज था उसी से हाल ख. नं. 2784 बना है। मिलान क्षैत्रफल में 752 मिन से हाल ख. नं. 2784 बनना दर्शाया गया है। साबिक ख. नं. 752 जो भूरसिंह पुत्र मोतीसिंह के नाम था और इस ख. नं. से ही हाल ख. नं. 2784 बना तो यह किस प्रकार रतनसिंह पुत्र भूरसिंह के नाम दर्ज हुआ, इसको वादीगण द्वारा साबित नहीं किया गया। वादीगण द्वारा यह भी साबित नहीं किया कि हाल ख. नं. 2784 पर वादीगण का कब्जाकाश्त हो। सम्पूर्ण वास्तविक स्थिति वाद में साक्ष्य व सबूत के माध्यम से तय होनी है। अतः ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला वादीपक्ष साबित नही है।

सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षतिः– प्रथम दृष्टया प्रकरण से स्पष्ट है कि वर्तमान में अप्रार्थीगण खातेदार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। जिससे सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित है। यदि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को पाबन्द किया जाता है तो अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण को ही होगी । अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के पक्ष में है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विवादित आराजी मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बाबत स्वीकार किया जाना न्यायोचित नही है।

आदेश

अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दू प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के पक्ष में निर्णित हो चुके है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 23.01.2025 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली